भारत सरकार द्वारा कोविड–19 हेतु जारी रिवाइज ट्रेवल एडवाइजरी दिनांक 11.03.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 12.03.2020 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

भारत सरकार द्वारा कोविड–19 हेतु जारी रिवाइज ट्रेवल एडवाइजरी दिनांक 11.03.2020 (प्रति संलग्न) के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 12.03.2020 को आयोजित बैठक में निम्न निर्देश दिये गयेः–

(1) दिनांक 15.02.2020 के पश्चात 13.03.2020 को 05:30 बजे के बाद चीन, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फ्रांस, स्पेन एवं जर्मनी से भारत में आने वाले हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों, जिनमें भारतीय नागरिक भी सम्मिलित है या जिन व्यक्तियों द्वारा इन देशों की यात्रा की गयी है, को न्यूनतम 14 दिन के लिए कोरनटाइन किया जाए। उक्त व्यवस्था दिनांक 13.03.2020 को 05:30 बजे से पोर्ट ऑफ डिपार्चर पर लागू होगी।

(2) विशेष कर लखनऊ, वाराणसी, महराजगंज, गोरखपुर, रूपईडीहा (बहराइच), सोनौली (महराजगंज), गाजियाबाद तथा नोएडा में मुख्य चिकित्साधिकारी तत्काल Quarantine facilities को चिन्हित उनमें मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था यथा–बिजली, पानी व फोल्डिंग बेड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(3) दिनांक 13.03.2020 सायंकाल 5.00 बजे के बाद से इन्डो–नेपाल बार्डर रूपईडीहा जनपद बहराइच व सुनौली जनपद गोरखपुर में भी उक्त 07 देशों से आने वाले यात्रियों को Quarantine किया जाय।

(4) एयरपोर्ट / चेकपोस्ट पर अपने वाले यात्रियों को Quarantine facility तक ले जाने हेतु वाहन सुविधा हेतु यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के अधिकारियों से सम्पर्क कर अनुरोध किया जाय।

(5) निदेशक (प्रशासन) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान तथा क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध गेस्ट हाऊस में डबल अकूपेन्सी के आधार पर 100 व्यक्तियों के रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। 12 कक्ष सिंगल अकूपेन्सी के रखे जाए।

(6) मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ, औरंगाबाद के पास स्थित रूरा बिल्डिंग में 100 लोगों की व्यवस्था तथा हिन्द मेडिकल कालेज में 100 बेड की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

(7) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जनपदों के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर कोरनटाइन हेतु समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

Com 4 uo-vk

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–528/पांच–5–2020
लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ,
2–निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ,
3–राहत आयुक्त/परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0,
5–निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ,
6–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश,
7–गार्ड बुक।

आज्ञा से,

13/3/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Com 4 uo-vk

सं०-528/पाँच-5-2020

pib.nic.in

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
*****

High level Group of Ministers reviews current status, and actions for prevention and management of COVID-19

Revised Travel Advisory issued

New Delhi, 11th March, 2020

A second meeting of the GoM was held at Nirman Bhawan today under the chairpersonship of Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Health & Family Welfare. Sh. Hardeep S. Puri, Minister of Civil Aviation, Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, Sh. Nityananda Rai, Minister of State for Home, Shri Mansukh Mandaviya, Minister of State (I/c), Ministry of Shipping, Chemicals and Fertilisers and Sh. Ashwini Kumar Choubey, Minister of State, Health & Family Welfare were present.

The recommendations of the Committee of Secretaries chaired by Cabinet Secretary were placed before GoM. After detailed deliberations on preventive measures, actions taken and preparedness for Novel Coronavirus Disease (COVID-19), the Group of Ministers took the following decisions:

- All existing visas, except diplomatic, official, UN/International Organizations, employment, project visas, stand suspended till 15th April 2020. This will come into effect from 1200 GMT on 13th March 2020 at the port of departure.
- Visa free travel facility granted to OCI card holders is kept in abeyance till April 15th 2020. This will come into effect from 1200 GMT on 13th March 2020 at the port of departure.
- Any foreign national who intends to travel to India for compelling reason may contact the nearest Indian Mission.
- All incoming travellers, including Indian nationals, arriving from or having visited China, Italy, Iran, Republic of Korea, France, Spain and Germany after 15th February, 2020 shall be quarantined for a minimum period of 14 days. This will come into effect from 1200 GMT on 13th March 2020 at the port of departure.
- Incoming travellers, including Indian nationals, are advised to avoid non-essential travel and are informed that they can be quarantined for a minimum of 14 days on their arrival in India.
- Indian nationals are strongly advised to avoid all non-essential travel abroad. On their return, they can be subjected to quarantine for a minimum of 14 days.
- International traffic through land borders will be restricted to Designated check posts with robust screening facilities. These will be notified separately by M/o Home Affairs.

12/03/2020

- Provision for testing primarily for students/compassionate cases in Italy to be made and collection for samples to be organized accordingly. Those tested negative will be allowed to travel and will be quarantined on arrival in India for 14 days.

****

MV